न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 96/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. भाकरलाल पिता कूरीलाल जी भदादा, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर (राज.)
2. हीरालाल पिता मोतीलाल जी ब्राहमण, निवासी विरवालकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. लीलाराम पिता मोतीराम जी ब्राहमण, निवासी विरवालकला, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रदीप कुमार पिता महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवेन्द्र कुमार पिता महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
6. प्रतिभा कुमार पिता महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती पदमावली पत्नी स्वर्गीय महेन्द्र कुमार दोशी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
8. देवीलाल पिता गुलाब जी सुथार, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. कन्हैयालाल पिता भैरूलाल जी दर्जी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
10. लुकमान हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
11. युसूफ हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
12. अब्बास हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
13. सेफुदीन पिता अब्दुल हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

14.मोहन पिता रूपलाल जी दर्जी, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

15.तस्दुक हुसैन पिता फीदा हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

16.यावर हुसैन पिता फीदा हुसैन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

17.मोहम्मद हुसैन पिता कुर्बान अली जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

18.प्रभूलाल पिता कूरीलाल जी भदादा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

19.लक्ष्मी नारायण पिता प्रभूलाल जी भदादा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

20.दिने''ा कुमार पिता प्रभूलाल जी भदादा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

21.दिलीप कुमार पिता प्रभूलाल जी भदादा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

22.भौलेन्द्र कुमार पिता प्रभूलाल जी भदादा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. नगर पालिका सलुम्बर, जरिये चेयरमैन/सचिव, नगर पालिका सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
3. तायर अली पिता स्वर्गीय श्री सेफुद्दीन जी बोहरा, निवासी सलुम्बर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
दिनांक 25.09.2018 प्र.सं. 158/07

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री कंवरलाल मीणा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे.सं. 1

———:::———

निर्णय दिनांक

25—09—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक वाद बाबत खातेदारी घोशणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सलुम्बर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 1206,1211,1216,1268,1270,1279,1279,1283,1342,1348 किता 1 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादीगण व उनके साथ अन्य खातेदार कुल मिलाकर 40 व्यक्तियों के नाम पर खातरा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर काबिज का''त चले आ रहे थे, जिसके पड़ोस पूर्व में कब्रिस्तान, प''चम में आमरोड़ व पिता मीणा की कृशि भूमि, उत्तर में आम सड़क सलुम्बर से बासवाड़ा राश्ट्रीय राजमार्ग एवं दक्षिण में पहाड़ी पर महारकजी की पड़क छतरी है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान नंबर 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1620/1559, 1572 किता 8 रकबा 2.48 हैक्टर बने हैं। उक्त पुराने आराजी में से दिनांक 20—06—1984 को भूमि रूपान्तरण अधिकारी के आदे''ा से कुल 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर नामान्तरकरण संख्या 621 दिनांक 09—05—1985 से उक्त 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि आबादी बिलानाम सरकार दर्ज की गयी, भोश भूमि कृशि भूमि होकर खातेदारों के नाम पर चली आ रही है। गत सेटलमेन्ट के दौरान उक्त 2 बीघा 7 बिस्वा आबादी भूमि से बने नये नंबर 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 किता 6 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी, जिसे जिला कलक्टर के आदे''ा से भूमि नगर पलिका सलुम्बर को आबादी विस्तार हेतु हस्तान्तरित कर दी

गयी, जिससे यह भूमि नगर पालिका के नाम पर अंकित हो गयी, जिसे पूर्ववत बिलानाम आबादी भूमि दर्ज किया जाना आव''यक है। नगर पालिका वादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने पर उतारू है, जिससे स्थायी निशेधाज्ञा का वाद भी पे''ा गया है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित वादीगण की कृशि से अकृशि में रूपान्तरित 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो बिलानाम सरकार अंकित कर दी गयी है उसे दुरस्त किया जाकर पूर्ववत बिलानाम आबादी भूमि वादीगण के नाम अंकित की जावे तथा स्थायी निशेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खातेदार 40 बताया जाकर वाद केवल 19 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है सभी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा तुलनात्मक क्षेत्रफल अनुसार नम्बरान का मिलान नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25—09—2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01—11—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री कंवरलाल मीणा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 औपचारिक पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि विवादित भूमि आपस में बटी होकर अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के पिता के नाम होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत आदे''ा पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तनकियां बनायो गयी हैं तथा रेकार्ड पर आयी भाहादत को नजर अंदाज कर उनका गलत विवेचन किया

गया है। भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना होता है। जिला कलक्टर को कथित भूमि नगर पालिका को आबादी विस्तार हेतु देने का कोई अधिकार नहीं है। कथित जमीन से सरकार या नगर पालिका का दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं है, सेटलमेन्ट की गलती से सारा विवाद उत्पन्न हुआ है, जबकि वास्तविक रूप से कथित भूमि में मालिक काबिज अपीलान्टगण हैं तथा उन्होंने भूमि को आबादी में परिवर्तित करा पट्टे प्राप्त किये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर आयी भाहादत का पूर्व विवेचन किये बिना ही तनकियात का निर्णय कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट को विवादित भूमि का खातेदार का''तकार घोशित किया जाकर नगर पालिका का नाम हटाया जाव तथा जमीन पुनः आबादी बिलानाम घोशित करायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह लिया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना होता है। यदि अपीलान्ट पैमाई''ा वालों की गलती बताता है तो उसे इसके लिए धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दाद हासिल करनी चाहिए थी, जिसके लिए वह स्वतंत्र है, परन्तु इस दावे के माध्यम से उसके द्वारा चाही गयी दाद पाने का वह अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 25–09–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस. ....
....

भांकरलाल पिता कुरीलाल जी भदादा, बनाम राजस्थान राज्य जरिये
प्रतिनिधि निवासी हिरण मगरी सेक्टर नंबर 11, जिला
कलक्टर उदयपुर व अन्य
उदयपुर व अन्य

अपील नं........**96/2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड
अधिकारी.....
...........**सलुम्बर**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**25**..............माह..............**09**..
..........**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**09**......सन् **2019** रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी........श्री संजय बोहरा.........मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री कंवरलाल
मीणाा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25-09-2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**09**...
........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।